

24/2/26

अधिवक्ता अपीलान्त उपर/ अधिवक्ता अपीलान्त ने यह स्पष्ट किया कि यह उक्त अपील को आगे चलाया नहीं चाहते व न ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक कर्मवाही करना चाहते हैं। अतः उक्त अपील को परिसरे नोट प्रेस खातिम करने। अधिवक्ता अपीलान्त के कथनों के आधार पर उस अपील को परिसरे नोट प्रेस खातिम किया जाता है। फायली फैसल सुमार सेक्टर बाद आवश्यक कर्मवाही दामिज दस्तूर हो।

अस्व अपील प्राधिकारि  
पाली

Not Press  
Gajendra